

833/677/
क्रमांक एफ / 2018/55-2

भोपाल, दिनांक 25/05/2018

आदेशः

भारत सरकार द्वारा सहायित योजनाओं में चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये प्रदेश में "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" (PMSSY) के संचालन एवं कियान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु निम्नानुसार प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग समिति का गठन आदेशानुसार किया जाता है :-

- | | | | |
|---|--|---|---------|
| 1 | मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन | - | अध्यक्ष |
| 2 | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग | - | सदस्य |
| 3 | आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश | - | सदस्य |
| 4 | मुख्य अभियंता (निर्माण एजेंसी) | - | सदस्य |
| 5 | संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता | - | सदस्य |
| 6 | भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में पी.एम.एस.एस.वाय, योजना विभाग के एक प्रतिनिधि | - | सदस्य |

समिति की बैठक प्रति त्रैमास में एक बार आयोजित होगी।

834/677/
पृ0क्रमांक एफ / 2018/55-2
प्रतिलिपि:-

- 1 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2 निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 3 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 4 आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं समिति के कार्य संचालन की व्यवस्था करने हेतु अग्रेषित।
- 5 अधिष्ठाता/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

0/c (नरेन्द्र सिंह परमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 25/05/2018

6/c
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग